तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1571/2006/भरतपुर** **वीरमती देवी बनाम बलवीर सिंह (मृतक जरिये वारिसान) व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.12.2024

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 147/02 में पारित आदेश दिनांक 16—01—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की एकपक्षीय बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार पर एवं बिना किसी कारण के प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करके भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों को नजरअंदाज करके विवादित निर्णय प्रदान किया है जिसके कारण निर्णय अपीलीय न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का कभी किसी तरह का कोई सम्बंध नहीं है लेकिन राजस्व अभिलेख में सम्वत् 2014 से विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण /प्रतिवादीगण गैर खातेदार काश्तकार व प्रार्थीया/वादीया को शिकमी कृषक अंकित किया हुआ है इस अंकन से भी विवादि आराजी पर वादीया/प्रार्थीया को धारा 19 (1) एवं 19 (1) ए0ए0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकार खातेदार प्राप्त हो जाते हैं, दूसरे शिकमी कृषक की बेदखली की अवधि निकल जाने पर प्रतिवादी के अधिकार खातेदारी धारा 63 (4) आर0टी0एक्ट के प्रावधानों के अनुसार समाप्त हो चुके है तथा वादीया को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, इस प्रकार खातेदारी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम गलत है। इस बाबत् दावे में संशोधन किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योगय था तथा इससे दावे की प्रकृति नहीं बदलती थी तथा इस संशोधन से अप्रार्थीगण को कोई भी नुकसान नहीं होता था तथा यह संशोधन किया जाना अत्यधिक आवश्यक था तथा यह संशोधन दावे के प्रतिकूल नहीं था इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करके भारी कानूनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1571/2006/भरतपुर** **वीरमती देवी बनाम बलवीर सिंह (मृतक जरिये वारिसान) व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं सैद्धांतिक भूल की है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि उन्होंने संशोधन किस कारण से व किस आधार पर अस्वीकार किया है, जबकि अपीलीय न्यायालय को अपने निर्णय में प्रार्थना पत्र को खारिज करने का समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित करना चाहिए था। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायल जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–01–2006 को निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी दिनांक 15–07–2003 को स्वीकार फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2018 डीएनजे (एस0सी0) पेज 1, 2017 (1) आरआरटी पेज 215, 2017 आरबीजे पेज 317, 2014–15 (सप्ली0) आरआरटी पेज 715, 2017 (2) आरआरटी पेज 818 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4– पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। निगराकार के पिता मृतक लालाराम ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वितीय मुख्यालय भरतपुर के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत पेश किया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वितीय मुख्यालय भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30–03–2002 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वितीय मुख्यालय भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–03–2002 से व्यथित होकर निगराकार ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की। दौराने अपील निगराकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर वादपत्र में संशोधन का कथन किया। अनिगराकारगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निगराधीन आदेश दिनांक 16–01–2006 के द्वारा निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी को खारिज कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–01–2006 से व्यथित होकर निगराकार ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। निगराकार ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी में जो संशोधन चाहा है वह इस प्रकार है ''6 अ यह कि अन्य दशा में विवादित आराजी से प्रतिवादी का कभी किसी तरह का कोई सम्बंध नहीं है लेकिन राजस्व अभिलेख में सम्वत् 2014 से विवादित आराजी पर प्रतिवादी को गैर खातेदार काश्तकार व वादी को शिकमी कृषक अंकित किया हुआ है इस अंकन से भी विवादित आराजी पर वादी को धारा 19 (1) एवं 19 (1) एए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकार खातेदारी प्राप्त हो जाते हैं। 6 ब यह कि दूसरे शिकमी कृषक की बेदखली की अवधि निकल जाने पर प्रतिवादी के अधिकार खातेदारी धारा 63 (iv) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समाप्त हो चुके है तथा वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार इंद्राज खातेदारी प्रतिवादी के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1571/2006/भरतपुर** **वीरमती देवी बनाम बलवीर सिंह (मृतक जरिये वारिसान) व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नाम गलत है।'' प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार द्वारा जो संशोधन चाहा गया है वह उनके द्वारा अपने वाद पत्र के चरण संख्या 4 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र द्वारा जो संशोधन चाहा गया है वह उनके द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 3 व 4 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अंतिम रूप से निस्तारण हेतु बहस में चल रहा है। उपर्युक्त स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं है। हमने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं। अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते, क्योंकि अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न–भिन्न है।

5– परिणामतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–01–2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य